R.B.E.NO. 124 /97

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

NO.E(NG)I-97/SR6/22/AIRF New Delhi, dated 17 - 9 -97

The General Manager (P)
All Indian Railways and
Production Units.
(As per standard list)

Sub:- Reduction in the period of training of Diploma Holder Apprentices Mechanic recruited through RRB and Inter-Apprentices from serving staff of Mechanical and Electrical Deptt.

Ref:- Board's letters No.E(MPP)94/3/17/Pt/Re-Const. dated 28.9.95 and 13/14.8.96 on the above subject.

Subsequent to the issue of Board's instructions referred to above, the All India Railwaymen's Federation in the PNM meeting with the Board held in July 1996 raised the demand vide item No.48/96 that the reduction of training period from 24 months to 18 months should be made applicable also to the Apprentices already undergoing training on the various Railways/Production Units.

2. While the above demand of the Federation has not been accepted, the Board agreed to examine the demand of the Federation for issue of clarification regarding the seniority of Apprentices who started their training before the respective date of issue of the instructions reducing the period of training, viz, 28.9.95 and 13/14.8.96. It is accordingly clarified that the Apprentices who started training before the respective date of issue of Board's letters referred to above should not lose seniority to those Apprentices who merely by reason of having undergone a shorter training join the working posts earlier though selected later.

Please acknowledge receipt.

(J.S. Gusain)
Joint Director Estt.(N)
Railway Board

.....2/-

NO.E(NG)I-97/SP6/22/AIRF New Delhi, dated 17 - 9 -1997

Copy forwarded to:-

1) The General Secretary, All India Railwaymen's Federation, 4, State Entry Road, New Delhi-55 (with 35 spares).

2) The General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen, 3, Chelmsford Road, New Delhi-110055 (with 35 spares).

3) All Members, Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (with 90 spares).

4) The Secretary General, Indian Railway Promotee Officers' Federation, Room No.258, Rail Bhavan, New Delhi (with 5 spares).

5) The Secretary General, Federation of Railway Officer's Association, Room No.256-A, Rail Bhavan, New Delhi (with 5 spares).

for Secretary/Railway Board

Copy to:-

PSs to CRB, FC, MS, MI, ML, ME, MT.

PSs to AM(S), DG(RHS), EDE, EDV, EDE(N), EDE(Res), EDE(IR), EDPC(I, II, JDE(RIB), JDE(R), JDE(D&A), JDPC, DDE(R)I&II, DD(Code Revision), DDE(N)I, DDE(LR)I, E(NG)II, E(Rep)I,II & III, E(SCT)I&II, Sec(E), E(G) with two spares, AC-III(15 spares).

.....

भारत सरकार
रेल मंत्रालय(रेलवे बोर्ड) आर.बी.ई.सं. 121/97

सं. ई(एनजी)1-97/एस.आर.6/22/ए.आई.आर.एफ नई दिल्ली, दि0 17-9-97

महाप्रबंधक(कार्मिक),
सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां.
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: रेल भर्ती बोर्डों के जरिए भर्ती किए गए डिप्लोमाधारक अप्रेन्टिस मैकेनिक तथा यांत्रिक एवं बिजली विभाग के कार्यरत कर्मचारियों से इन्टर अप्रेन्टिसों की प्रशिक्षण की अवधि में कमी.

.....

संदर्भ : उपर्युक्त विषय पर बोर्ड का 20.9.95 तथा 13/14.8.96 का पत्र सं. ई(एस.पी.पी.)94/3/17/पार्ट/रिकंस्ट.

.....

बोर्ड के उपर संदर्भित अनुदेशों के जारी होने के बाद, जुलाई 1996 में आयोजित बोर्ड के साथ स्थायी वार्ता तंत्र की बैठक में ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन ने मद सं. 48/96 द्वारा यह मांग उठाई थी कि प्रशिक्षण की अवधि को 24 महीने से घटाकर 18 महीने करने की बात उन अप्रेन्टिसों के लिए भी लागू की जाए, जो विभिन्न रेल उत्पादन इकाइयों पर पहले ही से प्रशिक्षण ले रहे हैं.

2. यद्यपि, फेडरेशन की उपर्युक्त मांग को स्वीकार नहीं किया गया है फिर भी बोर्ड इस बात पर सहमत था कि उन अप्रेन्टिसों की वरिष्ठता से संबंधित स्पष्टीकरण जारी करने हेतु फेडरेशन की मांग की जांच की जाए जिन्होंने प्रशिक्षण की अवधि में कमी करने के अनुदेश जारी होने की संबंधित तारीख यथा 28.9.95 तथा 13/14.8.96 से पूर्व अपना प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया हो. तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन अप्रेन्टिसों ने बोर्ड के उपर संदर्भित पत्रों के जारी होने की तारीखों से पूर्व प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया हो, उनको उन अप्रेन्टिसों की तुलना में वरिष्ठता में

....2/-

कोई कमी नहीं होगी. जो मात्र प्रशिक्षण की अपेक्षाकृत कम अवधि होने के कारण, बाद में चयन किए जाने के बावजूद भी कार्यकारी पदों पर पहले ही कार्यभार ग्रहण कर लेते हों.

कृपया पावती दें.

(जे. एस. गुसाईं)
संयुक्त निदेशक, स्था. (श्रम.),
रेलवे बोर्ड.

सं. ई(एन पी)1-97/एस. आर. 6/12 /ए. आई. आर. स्क्रू नई दिल्ली, दि0 17-9-97

1. जनरल सेक्रेटरी, आल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन, 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली,-55 (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
2. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमैन, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली-55 (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
3. विभागीय परिषद तथा राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
4. सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन आफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 256-ए रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित).

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड.

प्रतिलिपि प्रेषित:-

वित्त सचिव/अ. रे. बोर्ड, वित्त आयुक्त, सदस्य कार्मिक, सदस्य यांत्रिक, सदस्य बिजली, सदस्य इंजी., सदस्य यातायात.

....3/-

निजी सचिव/अपर सदस्य(एस), महानिदेशक (रे. स्वा. से. (का. निदे. स्था., का. निदे. सर्त., का. निदे. स्था. (एन), का. निदे. स्था. (आरक्षण का. निदे. (ई एंड आर), का. निदे. स्था. (आई आर), का. निदे. वे. आ. I एवं II, संयुक्त निदे. स्था. (रे. ध. बो.), संयु. निदे. स्था. (आर), संयुक्त निदे. स्था. (डी. एंड ए.), संयु. निदे. वे. आ., उप निदे. स्था. (आर.) I, II, उप निदे. (संहिता संशोधन), उप निदे. स्था. (एन) I, उप निदे. स्था. (एन)-II, उप निदेशक स्था. (एल. आर.) I, ई(एन जी) II, ई(रिप) I, II, III, ई(एस सी टी) I एवं II, सिक(ई), ई(पी) को 2 अतिरिक्त प्रतियों सहित तथा लेखा III.